बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

!! आदेश !!

संचिका संख्या–6/वि॰–9–55/2010................../विभागीय आदेश संख्या 804 दिनांक 26.06.2013 के द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों का संचालन पूरे वर्ष में पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक तथा शनिवार को पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक निर्धारित किया गया था। समय के निर्धारण में यह अपेक्षा की गयी थी कि शिक्षकगण विद्यालय को अंतिम एक घंटा Lesson Plan के अतिरिक्त टोला सेवक तथा तालिमें मरकज के शिक्षा स्वयंसेवी के साथ मिलकर विद्यालय परिसर में कमजोर बच्चों का Remedial teaching/Learning Support की व्यवस्था करेंगे। इसी क्रम में विभागीय पत्रांक 128 दिनांक 10.04.2014 के द्वारा सभी जिलों को यह निदेश दिया गया था कि यदि ग्रीष्मकाल में जिला के द्वारा विद्यालयों के संचालन के समय में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो तो जिला पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों, अभिभावकों एवं बच्चों के साथ विचार–विमर्श कर Morning Shift में विद्यालय संचालन की अनुमति दे सकते हैं।

राज्य में जारी भीषण गर्मी को देखते हुए यह महसूस किया जा रहा है कि पूरे राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का संचालन ग्रीष्मावकाश के पूर्व तक पूर्वाह्न 6:30 बजे से 11:30 बजे पूर्वाह्न तक संचालित किया जाए। प्रारंभिक विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन कराने की व्यवस्था 11:30 बजे अपराह्न में की जाय।

उक्त के आलोक में विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि पूरे राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का संचालन ग्रीष्मावकाश के पूर्व तक पूर्वाह्न 6:30 बजे से 11:30 बजे पूर्वाह्न तक संचालित किया जाए एवं प्रारंभिक विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन कराने की व्यवस्था 11:30 बजे अपराह्न में की जाय।

ग्रीष्मावकाश के पश्चात् विद्यालय का संचालन पूर्व में दिए गए निदेश विभागीय पत्रांक 804 दिनांक 26.06.2013 के आलोक में संचालित होगा।

28/4/14

(अमरजीत सिन्हा)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 6/वि॰–9–55/2010....141....../पटना, दिनांक–28-4-14

प्रतिलिपि– राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, मध्याह्न, भोजन योजना/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, महेन्द्रू, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप

निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी विद्यालय शिक्षा समिति/आई.टी.मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।